



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032021-225781
CG-DL-E-10032021-225781

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1047]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 10, 2021/फाल्गुन 19, 1942

No. 1047]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 10, 2021/PHALGUNA 19, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2021

का.आ. 1135(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ., जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले में NH70 के कि.मी. 163 से कि.मी. 224 (उप मंडल अधिकारी (सिविल), सरकाघाट, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "०१-०१-२०२१" को "द ट्रिब्यून" और "दिव्य हिमाचल" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

हिमाचल प्रदेश राज्य के मंडी जिले में NH70 के कि.मी. 163 से कि.मी.224 (उप मंडल अधिकारी (सिविल), सरकाघाट, जिला मंडी हिमाचल प्रदेश) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश			जिले का नाम: मंडी		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: धर्मपुर				
	गांव का नाम: बनेरारी (121)				
1	1927	निजी	बारानी दोयम	0.0001	कुल भाग (48) बृज लाल पुत्र केसरू पुत्र सौजू (47) भाग श्रीमती दीपा विधवा देवी राम पुत्र अच्छरू (1) भाग स्थानीय वासी (१९२७)
	तालुक का नाम: सरकाघाट				
	गांव का नाम: भेड़ी/162				
1	3127 /10	सरकारी	जंगल मेहफूजा महदूदा	0.0187	सरकार हिमाचल प्रदेश (३१२७/१०)
	गांव का नाम: कलोड/271				
2	3 /1	निजी	बारानी अब्बल	0.0127	कुल भाग (20) कुलदीप कुमार पुत्र सालीराम पुत्र द्वाना (7) भाग सुशील कुमार पुत्र व श्रीमती रक्षा देवी पुत्री श्रीमती लीला देवी पुत्री द्वाना भाग बराबर (4) भाग विनोद कुमार रमेश कुमार अशोक कुमार पुत्र परमा नन्द पुत्र द्वाना भाग बराबर (8) भाग श्रीमती अती देवी पुत्री सालीराम पुत्र द्वाना (1) भाग स्थानीय वासी (३/ १)

	गांव का नाम: सरकाघाट/230				
3	45 /1	सरकारी	गैर मुमकिन सड़क	0.0171	सरकार हिमचल प्रदेश (४५ /१)
			कुल	0.0486	

[फा. सं. RW/NH-12014/853/2014/HP/NH-I/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 10th March, 2021

S.O. 1135(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH70 on the stretch of land from Km 163 to Km 224 (Sub Divisional Officer (Civil) Sarkaghat Distt Mandi, Himachal Pradesh) in the district of MANDI in the state of HIMACHAL PRADESH

And whereas the substance of the said notification has been published in “The Tribune” and “Divya Himachal” both dated 01-01-2021; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH70 in the stretch of land from km. 163 to km. 224 (Sub Divisional Officer (Civil) Sarkaghat Distt Mandi, Himachal Pradesh) in the district of MANDI in the state of HIMACHAL PRADESH

State: HIMACHAL PRADESH			District: MANDI		
Sl. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Dharmpur				
	Village: Banerari (121)				
1	1927	Private	Baarani Doyam	0.0001	Total share (48) Brij Lal S/o Kesaru S/o Souju (47) share Smt. Deepa Devi

					Wd/o Devi Ram S/o Achhru (1) share Local Resident. 1927
	Taluk: Sarkaghat				
	Village: Bhedi/162				
1	3127 /10	Government	Jungle Mehfujaa Mehduda	0.0187	Government Of Himachal Pradesh 3127/10
	Village: Kalot (271)				
2	3 /1	Private	Baarani Avval	0.0127	Total share (20) Kuldeep Kumar S/o Saliram S/o Dwana (7) share Sushil Kumar S/o & Smt. Raksha Devi D/o Smt. Leela Devi D/o Dwana equal share (4) share Vinod Kumar Ramesh Kumar Ashok Kumar S/o Parma Nand S/o Dwana equal share (8) share Smt. Ati Devi D/o Saliram S/o Dwana (1) share local resident 3 /1
	Village: Sarkaghat/ 230				
3	45 /1	Government	Gair Mumkin Sadak	0.0171	Government Of Himachal Pradesh 45/1
			TOTAL	0.0486	

[F. No. RW/NH-12014/853/2014/HP/NH-I/3D]

RAJESH GUPTA, Director